न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 04 / 18

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय भरतपुर

......प्रार्थी

बनाम

श्री राकेश कुमार पुत्र अमर जाति धोबी निवासी जघीना, ड्राईवर बन्टी भारत गैस एजेन्सी, रणजीत नगर, भरतपुर

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जप्तशुदा 16 घरेलू गैस सिलैण्डर एवं मारुति वैन संख्या डी.एल.–3 सी.एम. 6053 को राजसात करने के क्रम में।

1– श्री पवन अग्रवाल ,ई.ओ. पेरोकार रसद
2– श्री रमनलाल मित्तल अभिभाषक अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश

दिनांक 27.06.2019

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट विरुद्व अप्रार्थी. इस आशय का पेश किया गया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों में से अवैद्य रूप से वाहनों में एलपीजी गैस भरने की सूचना जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त होने पर जांच दल द्वारा दिनांक 14.03.2018 को हीरादास बस स्टैण्ड के बगल में टैम्पों स्टैण्ड पर कार्यवाही की गई, कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :–

यह है कि वक्त जांच टैम्पों स्टैण्ड में दो स्थानों पर एक इलैक्ट्रॉनिक कांटे पर एक सिलेण्डर को उल्टा कर रखा गया था। विद्युत चालित तार से जुडी मोटर को रेग्यूलेटर नली व वाहन के माध्यम से एक ओर घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा. भराव क्षमता का) व दूसरी ओर वाहन में डालने के वाल्ब से जोडा गया था। एक स्थान पर वाल्व से एक टैम्पो आरजे05डीए 3715 जुडा था व विद्युत मोटर चला कर एलपीजी को घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैद्य रूप से ऑटो टैम्पू में स्थानान्तरित किया जा रहा था। दूसरे स्थान पर गैस सिलेण्डर मोटर व रेग्यूलेटर, नली, बाल्व आदि थे, परन्तु वाहन नही था व मोटर बंद थी। टैम्पू के पास दो और घरेलू सिलेण्डर व दूसरी ओर तीन घरेलू सिलेण्डर जिनमें से दो एलपीजी स्थानान्तरित करने की मोटर से जुडे है, पाये गये। मौके पर इस अवैद्य कृत्य को चार लोग सम्पन्न कर रहे थे, जिसमें एक जांच दल को देखते ही मौके से भाग गया। शेष तीन व्यक्तियों में टैम्पू का चालक व ड्राइवर भगत सिंह, गैस रिफलिंग में सहयोगी अनिल व उक्त अवैद्य कार्य हेतु सिलेण्डर उपलब्ध कराने वाला राकेश उर्फ रौकी पुत्र अमरसिंह को मौके पर पकडा गया। यह है कि रौकी उर्फ राकेश ने बन्टी भारत गैस ऐजेन्सी के अर्जुन व नरेन्द्र के कहने पर 5 सिलेण्डर अनिल को यहॉ देना बताया। रिफिलिंग कार्य होने के स्थान के सामने ही बन्टी भारत गैस का वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 2110 भी खडा पाया, जिसमें 53 सिलेण्डर 14.2 किग्रा भराव क्षमता के उपलब्ध पाये, जिसमें 49 खाली व 4 आंशिक रूप से भरे सिलेण्डर पाये गये। भगतसिंह ने बताया कि अनिल व उसका साथी जो मौके से भाग गया, वे 70 रूपये प्रति लीटर की दर से सिलेण्डरों में गैस रिफिलिंग करते है। अनिल ने पैसे देकर बन्टी भारत गैस के वाहन जो मौके पर सामने खडा पाया गया है, वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 2110 से घरेलू गैस सिलेण्डर प्राप्त करना बताया है। यह है कि राकेश उर्फ रौकी ने डिलीवरी मैन होना बताया, परन्तु उसके पास वितरण हेतु कोई कैश मीमो या उसका काउन्टर फौइल या अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाया गया। मौके पर बन्टी भारत गैस द्वारा राकेश के माध्यम से अवैद्य रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर बिना दस्तावेज के अनिल व उसके साथी को उपलब्ध कराना व अनिल व उसके साथी द्वारा 70 रूपये प्रति लीटर में भगत सिंह के टैम्पू ऑटो में अवैद्य रूप से गैस रिफिल किया जाना स्पष्ट रूप से प्रगट हुआ।

प्रकरण की रिपोर्ट पुलिस थाना, अटलबन्द में एफआईआर संख्या 82/2018 द्वारा दर्ज कराई गई है व विद्युत मोटर–3, इलैक्ट्रॉनिक कांटे–2, प्लास–1, घरेलू सिलेण्डर–60 मय एलपीजी (350 किग्रा 640 ग्राम गैस) तथा दो वाहन क्रमशः टैम्पू ऑटो रिक्शा संख्या आरजे 05 पीए 3715 व अशोक लीलैण्ड का छोटा ट्रक आरजे05 जीबी 2110 को द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एंव वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3, 4 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण जप्त सरकार किया गया है। बन्टी भारत गैस एजेन्सी, रनजीत नगर, भरतपुर की दिनांक 15.03.2018 को जांच करने पर इस सन्दर्भ में उसके पास स्टॉक में 14.2 किग्रा के 48 घरेलू गैस सिलेण्डर वांछित स्टॉक से कम पाये गये, जो कि गैस ऐजेन्सी का इस अवैद्य कृत्य में सक्रिय सहयोग दर्शाता है। चूंकि राकेश, भगतसिंह व अनिल तथा मैसर्स बन्टी भारत गैस एजेन्सी, रनजीत नगर, भरतपुर का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एंव वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3, 4 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जप्त शुदा विद्युत मोटर–3, इलैक्ट्रॉनिक कांटे–2, प्लास–1, घरेलू सिलेण्डर–60 मय एलपीजी (350 किग्रा 640 ग्राम गैस) तथा दो वाहन क्रमशः टैम्पू ऑटो रिक्शा संख्या आरजे 05 पीए 3715 व अशोक लीलैण्ड का छोटा ट्रक आरजे 05 जीबी 2110 को राजसात करने की प्रार्थना की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थीगण या उनके अभिभाषक बाबजूद सूचना उपस्थित नही हैं। पेरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी को सुना गया।

पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि मुखबीर की सूचना प्राप्त होने पर जांच दल द्वारा दिनांक 14.03.2018 को हीरादास बस स्टैण्ड के बगल में टैम्पों स्टैण्ड पर कार्यवाही की गई। जांच दल ने दिनांक 14.03.2018 को अप्रार्थी दो वाहन क्रमशः टैम्पू ऑटो रिक्शा संख्या आरजे 05 पीए 3715 व अशोक लीलैण्ड का छोटा ट्रक आरजे 05 जीबी 2110 में 53 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा के) भारत गैस एजेंसी के परिवहन करते हुये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पकड़ा, सूचना मिलने पर प्रवर्तन स्टाफ ने पहुचकर जप्ती कार्यवाही की गई।

उपस्थित अप्रार्थी से घरेलू गैस सिलेण्डरों के सम्बन्ध में कागजात वगैराह के बारे में पूछताछ की गई। अप्रार्थी ने कोई कागजात पेश नही किये गये और नाहीं कोई सन्तोषजनक जबाब दिया। पेरोकार रसद का कहना है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों बिना किसी अनुज्ञानपत्र के अवैध परिवहन/ भण्डारण करते पाया गया है जो नियमों का स्पष्ट उलंघन है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 ख, 4ख और ग, 6 एवं 7 ग का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होने जप्त घरेलू गैस सिलेन्डर एवं वाहन को राजसात किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया। प्रकरण के अवलोकन से जाहिर है कि प्रवर्तन स्टाफ द्वारा जप्त गैस सिलेन्डरों को धारा 6ए ई.सी.एक्ट में थाना अधिकारी ने वाहन क्रमशः टैम्पू ऑटो रिक्शा संख्या आरजे 05 पीए 3715 व अशोक लीलैण्ड का छोटा ट्रक आरजे 05 जीबी 2110 एमवी एक्ट में जप्त किया गया है, जिसमें 53 सिलेण्डर 14.2 किग्रा भराव क्षमता के उपलब्ध पाये, जिसमें 49 खाली व 4 आंशिक रूप से भरे सिलेण्डर पाये गये। जप्त अशोक लीलैण्ड का छोटा ट्रक को अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर के आदेशानुसार बैंक गारंटी जमा कराकर रिलीज कराया जा चुका है । टैम्पू ऑटो रिक्शा संख्या आरजे 05 पीए 3715 ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की गरीबी स्थिति एवं टैम्पू मालिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विचार कर अप्रार्थी के प्रति नरम रुख अपनाते हुये जप्त वाहन टैम्पू को रिलीज किया जाना उचित पाते हैं एवं अशोक लीलैण्ड का छोटा ट्रक आरजे 05 जीबी 2110 एमवी एक्ट में जप्त किया गया है, जिसमें 53 सिलेण्डर 14.2 किग्रा भराव क्षमता के उपलब्ध पाये, जिसमें 49 खाली व 4 आंशिक रूप से भरे सिलेण्डर पाये गये जिनको राजसात किया जाना उचित पाते हैं।

प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मौके पर जप्त किये गये अशोक लीलैण्ड का छोटा ट्रक आरजे 05 जीबी 2110, विद्युत मोटर–3, इलैक्ट्रॉनिक कांटे–2, प्लास–1, घरेलू सिलेण्डर–53 मय एलपीजी (350 किग्रा 640 ग्राम गैस) सिलेण्डरों को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जप्त वाहन टैम्पो नम्बर आरजे 05 पीए 3715 को (सुपुर्दगी से वागुजार) रिलीज किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है वह जप्त गैस सिलेण्डर को सम्बन्धित कम्पनी में जमा करायें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86(23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी जप्त गैस सिलेन्डरों से प्राप्त धनराशि जमा राजकोष में करायी जावे। जिला रसद अधिकारी पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को सुनाया गया।

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official